P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6 * ISSUE-6 * (Part-1) February- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

निःशुल्क एवं अनिवार्य ि"क्षा :– एक समालोचनात्मक अध्ययन

दिलीप कुमार झा
प्रोफेसर,
शिक्षाशास्त्र विभाग,
प्रज्ञा कॉलेज ऑफ एजुके"ान,
बहादुरगढ़, हरियाणा, भारत

सारांश

यूपीए सरकार द्वारा अपने पिछले कार्यकाल में दिसम्बर 2008 में लाए गए, बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य ि"क्षा का अधिकार विधेयक–2008 (The Right of Children to Free and Compulosry Education Bill-2008) को सभी राज्यों ने 20 जुलाई को सर्वसम्मति से तथा लोक सभा ने 4 अगस्त, 2009 को 275–1 के बहुमत से पारित कर दिया। उपर्युक्त विधेयक में निम्नलिखित प्रमुख प्रावधान किए गए हैं– 1. 6–14 वर्ष आय वर्ग के बच्चों के लिए निः"ाुल्क व अनिवार्य ि"क्षा का प्रावधान किया गया है। 2. कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के बच्चों के लिए ि"क्षा के समुचित अवसर सुनि"चत करना। 3. ि"क्षकों की ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में तैनाती में असन्तुलन समाप्त करने व समुचित प्रि"क्षण प्राप्त ि"क्षकों की नियुक्ति करना। 4. विद्यालय भवनों, ि"क्षक–छात्र अनुपात, शैक्षणिक कार्यदिवस व ि"क्षकों के कार्य के घण्टों आदि के लिए मानकों का निर्धारण करना। 5. बच्चों को शारीरिक दण्ड देने, प्रवे"ा में बच्चों या उनके अभिभावकों की स्क्रीनिंग करने, कैपीटे"ान फीस लेने तथा विद्यार्थियों को स्कूल से निष्कासित करने आदि को प्रतिबन्धित किया गया है। 6. जनगणना, चुनाव कार्य व आपदा राहत कार्यों को छोड़कर अन्य किसी कार्य के लिए ि"क्षकों की ड्यूटी लगाने पर भी रोक इसमें लगाई गई है। 7. बिना समुचित मान्यता के किसी स्कूल का सचालन इसमें दण्डनीय अपराध बनाया गया है। 8. सरकारी सहायता न लेने वाले निजी स्कूलों को भी इस विधेयक के अधिनियमित होने पर प्रवे"ा स्तर की प्रारम्भिक कक्षा में प्रवे"ा की 25 प्रति"ात सीटें अपने आस–पास के वंचित बच्चों (Disadvantaged Children) के लिए आरक्षित रखनी होंगी। ऐसे बच्चों की पढ़ाई का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। ज्ञातव्य है कि ि"क्षा के अधिकार को सन् 2002 में 86वें संविधान स"ोधन के तहत् मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किए जाने के बावजूद इसे अभी तक इस रूप में अधिसूचित नहीं किया जा सका था। उपयक्त विधेयक के अधिनियमित होने से ि"क्षा को मौलिक अधिकार के रूप में अधिसूचित किया जा सका है।

मुख्य शब्द : निः"ाुल्क तथा अनिवार्य ि"क्षा, ि"क्षक–छात्र अनुपात, शैक्षणिक कार्यदिवस, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र, सरकारी एवं गैर–सरकारी स्कूल।

प्रस्तावना

निःसन्देह संसद द्वारा अगस्त 2009 में 6–14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए अध्ययन अधिकार देने वाला ि"क्षा विधेयक पारित कर ि"क्षा का कानूनी अधिकार बनाना एक ऐतिहासिक कदम है। उल्लेखनीय है कि यह विधेयक पहली बार 1993 में संसद के समक्ष लाया गया था, परन्तु पारित नही हो सका। अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून सारे दे"ा में लागू हो गया है। इसके साथ ही अब दे"ा में उक्त आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को 8वीं कक्षा तक ि"क्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त हो जाएगा। विधेयक की एक उल्लेखनीय बात यह है कि किसी बच्चे के 6 वर्ष की आय में प्रवे"ा न लेने की स्थिति में वह बाद में भी अपने उम्र के अनुरूप कक्षा में प्रवे"ा ले सकता है और उसे प्रवे"ा देने से स्कूल इनकार नहीं कर सकता इसके पीछे म"ाा यही है कि बच्चे को माध्यमिक ि"क्षा से कतई वंचित न रखा जाए। स्मरणीय है कि 2002 में 86वें संविधान स"ोधन अधिनियम में संविधान के भाग 111 में नए अनुच्छेद 21–क को जोड़कर 6–14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त तथा अनिवार्य ि"क्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई थी और ि"क्षा को मूलभूत अधिकारों के अध्याय में शामिल किया गया था चूंकि ि"क्षा समवर्ती सूची में आती हैं, इसलिए केन्द्र तथा राज्य सरकारें संयुक्त रूप से इस ि"क्षा विधेयक को कार्यन्वित करने की जिम्मेदारी उठाएंगे यह भी उल्लेखनीय है कि ि"क्षा पहले राज्य सूची में शामिल किया

गया। निःसन्देह आजादी के बाद सरकार द्वारा उठाया गया यह महत्वपूर्ण कदम है। यद्यपि 26 जनवरी, 1950 को भारतीय संविधान के लागू होने के बाद 10 वर्ष के भीतर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य ि"ाक्षा उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान था, लेकिन लगभग 60 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद आज भी दे"ा में प्राथमिक ि"ाक्षा से वंचित बच्चा की संख्या करोडों में है। इसलिए इन्हे स्कूल में लाना एक बडी चुनौती है, विधेयक में गरीब और वंचित बच्चों और वि"ोषकर अनुसूचित जाति और जनजाति तथा विकलांग बच्चों हेतु निजी तथा वि"ोष श्रेणी वाले स्कूलों में पहली कक्षा में 25 प्रति"ात आरक्षण की व्यवस्था भी है। विधेयक में निजी स्कूलों द्वारा अनिवार्य दान/चंदा लेने की भी मनाही है और ऐसा करने पर अर्थदण्ड की व्यवस्था भी विधेयक में की गई है अभिभावकों पर यह भी दायित्व सौंपा गया है कि वे अपने बच्चे को स्कूल भेजें। निजी तथा सरकारी स्कूलों हेतु कुछ सामान्य मानक भी तय किए हैं। यानी खेल का मैदान, पेयजल, 1: 40 के ि"ाक्षक विद्यार्थी अनुपात के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही पर जोर दिया गया है, ताकि स्कूलों की आधारभूत संरचना और ि"ाक्षण सम्बन्धी समस्या का समाधान निकल सके। स्कूल प्रबन्धन समिति में 50 प्रति"ात महिला सदस्यों की व्यवस्था कर लिंग भेद को समाप्त करने की भी व्यवस्था है, विधेयक में बीच में स्कूल छोड़ने के मामलों में रोक लगाने हेतु दो महत्वपूर्ण उपाय भी किए गए है, पहला, बच्चों को किसी भी रूप में अध्यापक द्वारा शारीरिक दण्ड देने की मनाही है, दूसरा, दाखिले क समय बच्चों के साथ उनके माता–पिता/अभिभावकों की परीक्षा और साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा और आठवीं कक्षा तक किसी बच्चे को अनुत्तीर्ण घोषित नहीं किया जाएगा।

विधेयक में विद्यालयों में ि"ाक्षण स्तर में सुधार सम्बन्धी प्रावधान भी किए गए है। मसलन, ि"ाक्षका की योग्यता के साथ ही उनके वेतन–भत्तों, सेवा, शर्तो, ि"ाक्षक और छात्र के बीच आद"ार्ा अनुपात और किसी विद्यालय में ि"ाक्षकों की रिक्तियां स्वीकृति पदों से 10 प्रति"ात से अधिक न रहने पर भी जोर दिया गया है। ि"ाक्षकों से ि"ाक्षणोत्तर कार्य यानी जनगणना, आपदा राहत, चुनाव में ड्यूटी न लगाने की व्यवस्था भी विधेयक में की गई है। शारीरिक प्रताड़ना पर रोक के साथ ही इस अधिनियम के अन्तर्गत ि"ाकायतों का निवारण बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत गठित राष्ट्रीय/राज्य बाल संरक्षण आयोग करेगा और अपनी सिफारि"ों प्रस्तुत करेगा। केन्द्र स्तर पर राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड तथा राज्य स्तर पर राज्य सलाहकार बोर्ड इस विधेयक के तौर तरीकों पर समय–समय पर अपने सुझाव देंगे। इसमें दो राय नहीं कि भारत में कुटीर तथा ग्रामोद्योग को सोने की खान कहा जाता है, क्योंकि उनमें रोजगार की असीम उद्योगों की पुनर्स्थापना हेतु नवयुवकों को पूरी आर्थिक सहायता देने की आव"यकता है। विधेयक में केपिटे"ान फीस पर रोक की व्यवस्था है, परन्तु निजी स्कूलों की महंगी फीस पर नियमन के सवाल पर विधेयक मौन है। प्राथमिक ि"ाक्षा के माध्यम के बारे में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि प्राथमिक स्तर पर बच्चे का उसकी जुबान में अर्थात् मातृभाषा में ि"ाक्षा देना जरूरी है। इसलिए अनिवार्य ि"ाक्षा की इस व्यवस्था में हमें स्कूली ि"ाक्षा में अंग्रेजी के बजाय हिन्दी या प्रान्तीय भाषाओं को प्राथमिकता देनी होगी, त्रिभाषा फॉर्मूला यहां पर कारगर सिद्ध हो सकता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया की कोई महा"ाक्ति/दे"ा ऐसा नहीं हैं जहां पढ़ाई का माध्यम उसके दे"ा की भाषा से भिन्न भाषा में हो। अंग्रेजी की इस अनिवार्यता की वजह से ही एक अनुमान के अनुसार 18 करोड़ बच्चे, जो प्राथमिक ि"ाक्षा में प्रवे"ा लेते है, वह स्नातक स्तर तक पहुॅचते–पहुॅचते लगभग 50 लाख रह जाते है। यद्यपि विधेयक में शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे को ि"ाक्षा पर वि"ोष ध्यान दिया गया है, परन्तु बाल तथा बंधुआ मजदूरों आदि की ि"ाक्षा के बारे में विधेयक में कोई व्यवस्था नहीं की गयी है, जबकि दे"ा में तेजी से बढ़ते बाल मजदूरों की संख्या चिन्ता का विषय है।

ि"ाक्षा में व्याप्त ग्रामीण तथा शहरी असंतुलन पर भी ध्यान केन्द्रित करना होगा। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि गॉवों तथा शहरों में ि"ाक्षा स्तर में काफी अन्तर है जिसे सुधारने की आव"यकता है। यहीं नहीं, राज्यों में स्कूली ि"ाक्षा के स्तर में भी भारी भिन्नताएं मौजूद है। इसका कारण प्रत्येक राज्य की अपनी भोगोलिक परिस्थितियां तथा विभिन्न समस्याएं है। उदाहरण के लिए केरल की साक्षर दर 90 प्रति"ात से अधिक है तो वहीं बिहार में प्रत्येक दो बच्चों में एक बच्चा स्कूल जाता है। दे"ाभर में स्कूल न जा पाने वालों में तीन चौथाई बच्चे 6 राज्यों– आन्ध प्रदे"ा, बिहार, मध्य प्रदे"ा, राजस्थान, उत्तर प्रदे"ा तथा प"िचम बंगाल से है। इसी प्रकार लैंगिक आधार पर नामांकन दर में भी राज्यों में काफी विषमताएं व्याप्त है। इसलिए मुफ्त तथा अनिवार्य ि"ाक्षा सही मायने में तभी प्रभावी हो सकती है जब इस अन्तर्राज्यीय असमानता को दूर किया जाए।

दे"ा में व्याप्त गरीबी, कुपोषण और भूख भी इस विधेयक के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन में एक बड़ी बाधा है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का अनुमान है कि वि"व में सबसे ज्यादा गरीब लोग भारत में है जिनकी संख्या लगभग 24 करोड़ है। भले ही विधेयक में बच्चों को फीस, स्कूली ड्रेस, कॉपी, किताब निः"ाुल्क उपलब्ध कराने की व्यवस्था है, परन्तु इस सबसे पहले बच्चे के पेट की भूख शांत करना भी जरूरी है। मध्याह्न भोजन योजना से कुछ हद तक इस समस्या का समाधान तभी होगा। जबकि ग्रामीण परिवारों की रोजी–रोजी की समस्या का स्थायी समाधान ढूंढा जाए। उनके लिए कृषि के अलावा रोजगार के स्थायी वैकल्पिक साधनों की पहचान की जाए। गॉवों में यह भी देखने में आया है कि बच्चा हो"ा संभालते ही अपने मां–बाप की खेतीबाड़ी/मजदूरी में हाथ बंटाना शुरू कर देता है या दुकानों, ढाबों, घरों, कारखानों में कार्य करने लगता है। वि"ोषकर अनुसूचित जाति और जनजाति के परिवारों के बच्चों की ि"ाक्षा के मामले में स्थिति अत्यन्त चिन्तनीय है। यहां एक सुझाव दिया जा सकता है कि कम–से–कम जिला स्तर पर उनकी आबादी का ख्याल करते हुए क्यों न हम ऐसे वर्गो के लिए आवासयक्त विद्यालय स्थापित करें। स्मरणीय है कि

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6 * ISSUE-6 * (Part-1) February- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गो और अल्पसंख्यक समुदायों की बालिकाओं की ि"क्षा में समानता के मुद्दे का निराकरण करने के उद्देश्य से की गई थी। यह कहने में तनिक संकोच नही कि इन परिवारों के बच्चों को ि"क्षा का माहौल तभी मिल सकता है, जबकि वे छात्रावास में ही रहें और सरकार उनकी 12वीं कक्षा तक की आवासयुक्त ि"क्षा का दायित्व अपने ऊपर ले तभी ऐसे वर्गो को आगे जाकर आरक्षण व्यवस्था का लाभ मिल सकता है अन्यथा पीढी–दर–पीढी गरीबी तथा जातिवाद का दं"ा झेल रहे इन वर्गों को समाज की मुख्य धारा में लाना सम्भव नहीं है। हमें इस तथ्य को भी ध्यान में रखना होगा कि बाल मजदूरी तथा बाल कुपोषण के मामले में भारत वि"व में प्रथम है और यहां की सवा अरब से अधिक की आबादी में लगभग 38 प्रति"ात लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे है। ऐसी स्थिति में मां–बाप के लिए बच्चे की पेट की आग बुझाने के समक्ष ि"क्षा कोई मायने नहीं रखती। इसलिए हमें इस वास्तविकता से रूबरू होना पड़ेगा और ऐसे परिवारों को पढाई नहीं कमाई के दु"चक्र से बाहर निकालना होगा।

अध्ययन के उद्दे"य

प्रस्तुत शोध कार्य के जो उद्दे"य निर्धारित किये गये हैं वे निम्नलिखित हैं–

1. 6–14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए निः"ाुल्क व अनिवार्य ि"क्षा प्रदान करना।
2. कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के बच्चों के लिए ि"क्षा के समुचित अवसर सुनि"चत करना।
3. ि"क्षकों की ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में तैनाती में असन्तुलन समाप्त करने व समुचित प्रि"क्षण प्राप्त ि"क्षकों की नियुक्ति करना।
4. विद्यालय भवनों, ि"क्षक–छात्र अनुपात, शैक्षणिक कार्यदिवस व ि"क्षकों के कार्य के घण्टों आदि के लिए मानकों का निर्धारण करना।
5. बच्चों को शारीरिक दण्ड देने, प्रवे"ा में बच्चों या उनके अभिभावकों की स्क्रीनिंग करने, कैपीटे"ान फीस लेने तथा विद्यार्थियों को स्कूल से निष्कासित करने आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त करना।

विधेयक को कैसे और प्रभावी बनाया जाएः कुछ सुझाव

निःसन्देह 21वीं सदो में भारत के ज्ञान आधारित समाज और 2021 तक विकसित राष्ट्र बनाने का स्वप्न तभी साकार हो सकता है जब साक्षरता, ि"क्षा तथा व्यावसायिक ि"क्षा में संतुलन हो, ि"क्षा सम्बन्धी क्षेत्रीय विषमता दूर हो, जीडीपी का ि"क्षा पर व्यय अधिक प्रति"ात किया जाए, राज्यों की ि"क्षा के प्रति उदासीनता दूर करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए जिससे सभी राज्य केन्द्र सरकार के शैक्षणिक क्षेत्र में किए जाने वाले प्रयासों के प्रति अपनी एकजुटता प्रद"िात करें। यह कहने में संदेह नहीं कि अच्छी गुणवता वाली ि"क्षा न केवल स्वयं व्यक्ति को स"ाक्त बनाने में सक्षम है। बल्कि समाज में उसके योगदान को भी सुनि"चत करती है। भाषा, ि"क्षक तथा ऑपरे"ान ब्लैक बोर्ड पर भी समान रूप से ध्यान देना जरूरी है, ि"क्षा के सार्वभौमिक महत्त्व को देखते हुए ही संयुक्त राष्ट्र के सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों में निरक्षरता को दूर करने पर जोर है। यद्यपि अभी केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का एक ढांचा तैयार किया जाना है जिसमें ि"क्षकों के प्रि"क्षण के मानदण्ड, नवाचार अनुसंधान, नियोजन और क्षमता विकास पर वि"ोष जोर दिया जाएगा। इस हेतु राज्य सरकारों को आव"यक तकनीकी सहायता और संसाधन भी उपलब्ध कराए जाएंगे, परन्तु इन सबके लिए राज्य सरकारों से समुचित सहयोग की आ"ाा होगी यह वास्तविकता है कि भारत में 25 वर्ष से कम आयु के लगभग 55 करोड़ युवा शक्ति की राष्ट्रनिर्माण में समुचित भागीदारी तभी सम्भव है जब प्राथमिक स्तर से ही उनकी ि"क्षा पर समुचित ध्यान दिया जाए।

इसके अतिरिक्त हमें समान स्कूली ि"क्षा पर भी गौर करना होगा, क्योकि ि"क्षा के व्यावसायीकरण पर रोक लगाने में समान स्कूली ि"क्षा की महत्ता स्वयंसिद्ध है। हमें कुकुरमुत्ते की तरह अस्तित्व में आने वाले पब्लिक स्कूलों पर रोक लगानी होगी। साथ ही मौजूदा पब्लिक स्कूलों पर कठोर मॉनीटरिंग रखना भी जरूरी है। यह सुविदित है कि जब पब्लिक स्कूल गरीब तबकों के 25 प्रति"ात बच्चों को प्रवे"ा में आरक्षण देने के नाम पर सस्ते दामों पर जमीन खरीदकर बाद में अपने लिखित आ"वासन से मुकरते रहे है, तो ऐसी स्थिति में विधेयक मे की गई मौजूदा 25 प्रति"ात की आरक्षण व्यवस्था कहां तक मूर्तरूप ग्रहण करेगी, इस पर विचार करना जरूरी है। जब हम विधेयक में बच्चे को गुणवत्ता वाली ि"क्षा उपलब्ध कराने की बात कर रहे है, तो हमे इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि बच्चे के बस्ते के बोझ को भी हल्का किया जाए, तोता रटंत ि"क्षा के बजाय कौ"ाल प्रधांन, जिज्ञासा जगाने वाल, तार्किक शक्ति बढाने वाली ि"क्षा देने की व्यवस्था की जाए। यह ि"क्षा के बाह्य और आन्तरिक पहलू पर उचित सामांजस्य स्थापित करने से ही सम्भव है। राज्य सलाहकार बोर्ड इस विधेयक के कार्यान्वयन के तौर–तरीकों पर समय–समय पर अपने सुझाव देंगे।

उल्लेखनीय है कि 2002 में भारत सरकार द्वारा सर्वि"क्षा अभियान की घोषणा की गई थी जिसके तहत् 6–14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को 2010 तक ि"क्षित करने का लक्ष्य रखा गया था। यह योजना वि"व बैंक द्वारा वित्तपेषित है। अब सरकार का विचार इस अभियान को उक्त विधेयक में मिलाने का है। 1995 से मध्याह्य भोजन योजना में 8वीं कक्षा तक के करोड़ों बच्चों को शामिल करने का वि"व का सबसे बड़ा स्कूली लंच कार्यक्रम भी प्रारम्भ किया गया था। ि"क्षा के साथ सामाजिक और लैंगिक असमानता को भी दूर करने की कवायद भी की गई थी, परन्तु सबकों ि"क्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य अभी कोसों दूर है। इसका मुख्य कारण स्कूल में बुनियादी सुविधाओं और संसाधनों की कमी मुख्य तौर पर जिम्मेदार थीं। स्कूल स्टाफ, भवन, ि"क्षण सामग्री और अन्य बुनियादी सुविधाओं के न होने से बच्चों की ि"क्षा बुरी तरह प्रभावित हुई। यह कैसा विरोधाभाष है कि दे"ा में निजी स्कूलों की संख्या में तो तेजी से बढ़ोत्तरी

हुई, जबकि सरकारी स्कूलों की संख्या उस अनुपात में नहीं बढ़ी, बल्कि स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं में बराबर कमी आने से उनकी शैक्षणिक स्तर गिरता चला गया। सुदूर ग्रामीण इलाकों में स्कूलों की द"ाा और भी चिन्तनीय है। कुछ राज्यों की खराब वित्तीय स्थिति ने भी इस समस्या को और बढ़ाया है।

वर्तमान स्कूली ि"ाक्षा के परिप्रेक्ष्य में विधेयक की प्रासंगिकता

इस प्रकार विधेयक में माध्यमिक ि"ाक्षा के प्रति किए गए महत्वपूर्ण प्रयासों के बावजूद कई बातें ऐसी हैं जिसका समाधान होना जरूरी है। विधेयक में किए गए सभी प्रावधानों का सरकारी और निजी स्कूलों में समान प्रयोज्यता के प्रति संदेह है। विधेयक को अमली जामा पहनाने के लिए वित्तीय व्यवस्था करना भी एक कठिन कार्य है। हमारे पास सर्व"िाक्षा अभियान का अनुभव सामने है यह कहने में संकोच नहीं कि राज्यों की उदासीनता से यह कार्यक्रम सफल नहीं हो पाया। यह सही है कि कुछ राज्यों की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन कमोबे"ा सभी राज्यों का इस अभियान के प्रति उदासीनता रवैया देखने को मिला। स्वयं मानव संसाधन विकास मंत्री ने भी इस विधेयक के कार्यान्वयन के प्रति शंका व्यक्त की है और उनका आकलन है कि ि"ाक्षा के अधिकार को कार्यान्वित करने में आगामी 7 वर्षो में 2.28 लाख करोड़ करोड़ रूपए खर्च होंगे। इसके अलावा, 12 हजार करोड़ रूपये सालाना खर्च करने होंगे। निःसन्देह यह खर्च केन्द्र तथा राज्यों की सामर्थ्य से अधिक है, इसलिए निजी क्षेत्र की सहभागिता से इनकार नहीं किया जा सकता। केन्द्र सरकार का विचार स्कूली ि"ाक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक–निजी भागीदारी मॉडल की शुरूआत के लिए नीतिगत मसौदा तैयार करने के साथ उसकी व्यावहारिकता सुनि"चत करने का भी है। साथ ही माध्यमिक स्कूल और दूरस्थ स्कूली ि"ाक्षा में ब्रॉडबैंड के जरिए सूचना और संचार तकनीक का इस्तेमाल करना भी प्रस्तावित है। मंत्रालय का यह भी कहना है कि यदि कोई राज्य सरकार जरूरी फण्ड मुहया कराने में अक्षम है, तो उनके मामले वित आयोग के पास समाधान के लिए भेजे जाएंगे।

यह हकीकत है कि स्कूली ि"ाक्षा आज सरकारी तथा पब्लिक स्कूलों में बंटी हुई है। निजी ि"ाक्षण संस्थान ि"ाक्षा को एक व्यवसाय के रूप में मानकर उसी अनुरूप अभिभावकों से न केवल मनमाना ि"ाक्षा शुल्क वसूल करते रहे है, बल्कि अन्य मदों में भी वे भारी भरकम रा"ि वसूलते रहे हैं, इसलिए समय–समय पर अभिभावकों की ओर से असंतोष के स्वर सुनाई देते रहे है। यह भी उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि ग्रामीण इलाकों में जहां अभी भी भयंकर गरीबी व्याप्त है, निजी क्षेत्र की ि"ाक्षण क्षेत्र में सहभागिता से ग्रामीण स्कूली बच्चों को कितना लाभ मिलेगा, यह विचारणीय प्र"न है। यद्यपि हमारे कुछ बड़े औद्योगिक घरानों ने ि"ाक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहल की है, परन्तु उनके इस पहल का लाभ समाज के धनी और समृद्ध तबके को ही मिला। इसलिए जरूरत इस बात की है कि औद्योगिक और कारपोरेट जगत् के साथ ही धर्मार्थ संस्थाएं न केवल पिछले इलाकों में विद्यालय स्थापित करें बल्कि गरीब और कमजोर वर्ग के परिवारों के बच्चों को प्रवे"ा में प्राथमिकता भी दें तभी निजी क्षेत्र की ि"ाक्षा में उपादेयता सुनि"चत होगी।

यहां यह भी उल्लेख करना समीचीन होगा कि आजादी के बाद ि"ाक्षा पर निरन्तर प्रयोग होते रहे, परन्तु ि"ाक्षा पर होने वाले खर्च में उसी अनुपात में बढोत्तरी नहीं की गई। फलस्वरूप, उन प्रयासों का समुचित लाभ नही मिला। अभी ि"ाक्षा पर जीडीपी का मात्र 3 प्रति"ात खर्च किया जा रहा है। यद्यपि भविष्य में इसमें 6 प्रति"ात खर्च करना प्रस्तावित है। हर्ष का विषय है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–2012) में ि"ाक्षा के मद में सकल बजट के 19 प्रति"ात तक खर्च करने की व्यवस्था थी। जबकि 10वीं योजना में यह 7.68 प्रति"ात था। यह भी उल्लेखनीय है कि दे"ा में लगभग 20–25 करोड़ बच्चों के लिए कम–से–कम 60 लाख ि"ाक्षकों की जरूरत होगी। इतने ि"ाक्षकों की भर्ती करना स्वयं में चुनौती है। केन्द्र तथा राज्य सरकारें पहले ही संविदा आधार पर ि"ाक्षकों की नियुक्तियां कर कार्य चलाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट बराबर इस सम्बन्ध में ि"ाक्षा विभाग को सजग करता रहा है। ऐसी स्थिति में ि"ाक्षकों के अभाव में बच्चों को मुफ्त तथा अनिवार्य ि"ाक्षा प्रदान करने का लक्ष्य कहां तक मूर्त रूप ग्रहण करेगा, यह विचार योग्य मुद्दा है। वर्तमान में भारत में लगभग 71 प्रति"ात प्राईमरी स्कूलों में तीन से कम अध्यापक है। मानव संसाधन मंत्रालय को प्रस्तुत 11वीं पंचवर्षी योजना की प्राथमिक ि"ाक्षा तथा साक्षरता सम्बन्धी कार्यदल की रिपोर्ट में सम्पूर्ण दे"ा में अध्यापकों की बेहद कमी की ओर संकेत किया गया है। यह सही है कि पिछले द"ाको में भारत में प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों में अध्यापकों की संख्या में शानदार बढ़ोत्तरी हुई है। लेकिन राज्यों, जिलों तथा जिलों के अन्तर्गत और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के बीच ि"ाक्षक के आवंटन में भारी असंतुलन बना रहता है, जो गम्भीर चिन्ता का विषय है ओर जिस पर वि"ोष ध्यान देना जरूरी है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ि"ाक्षा पर अधिकाधिक निवे"ा करने पर ही ि"ाक्षा की गुणवत्ता सुनि"चत होगी। ि"ाक्षक पर व्यय अनुत्पादक नहीं बल्कि एक ऐसा दीर्घ–कालिक निवे"ा है जिसकी बदौलत राष्ट्र की प्रगति सम्भव है।

जहां तक शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार का प्र"न है, विधेयक में हम 8वीं कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों को बेरोकटोक उसके परीक्षाफल का विचार किए बिना उत्तीर्ण करने की बात कर रहे है। इससे भले ही स्कूलों में बच्चों की अधिकाधिक उपस्थिति दर्ज हो जाए, लेकिन उनके द्वारा अजित ि"ाक्षा की गुणवत्ता के प्रति सन्देह होना स्वाभाविक है। इस हेतु उनके लिए परीक्षा में एक नि"चत मानक तय करना आव"यक है। चुंकि इस विधेयक का सरोकार प्राथमिक तथा माध्यमिक यानी 8वीं कक्षा तक ही है, जबकि 10वीं तथा 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही रोजगार स जुडे विधेयक के समानान्तर हमें विद्यार्थी की रूचि के अनुरूप व्यावसायिक ि"ाक्षा पर भी जोर देना होगा। ऐसा होने पर ही ि"ाक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाया जा सकता है और दे"ा में बेरोजगारी की समस्या से निजात मिल सकती है। इसमें सामंजस्य स्थापित करने से ही सम्भव है ि"ाक्षा के बाह्य पहलू में जहां हम किताबी

ज्ञान से परीक्षा उत्तीर्ण कर विद्यार्थी को आगे जाकर रोजी–रोटी के अर्जन हेतु सक्षम बनाने की आ"ाा करते है, वहीं आन्तरिक पहलू के तहत् मानवीय मूल्यों के विकास पर जोर दिया जाता है। यदि ि"ाक्षा ग्रहण करने के बाद भी मानव अन्दर से रिक्त हो, उसमें दया, सहानुभूति, प्रेम, क्षमा, सृजन"ाीलता और वि"वास जैसे गुणों का अभाव हो, तो ऐसी ि"ाक्षा उसके जीवन के लिए अर्थहीन साबित होगी। इसलिए ि"ाक्षा सिर्फ कौ"ाल नहीं मानवीय मूल्यों की पोषक भी हो और जिसे आत्मसात् कर विद्यार्थी व्यक्तिगत उन्नति के साथ सामाजिक उन्नति में भी योगदान देने में सक्षम हो। इस हेतु ने"ानल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में यह उल्लेख है कि प्रत्येक बच्चा किसी न किसी रूप में प्रतिभा सम्पन्न होता है। आव"यकता है उसकी प्रतिभा का समुचित विकास करना।

इसमें दो राय नहीं कि अब ि"ाक्षक पर ही इस विधेयक को अमली जामा पहनाने का दायित्व है, लेकिन पिछले कुछेक वर्षो में सरकारी स्कूलों के ि"ाक्षकों की ि"ाक्षण कार्य के प्रति लापरवाही उजागर हुई है, ि"ाक्षा के व्यावसायीकरण से वे भी अछूते नहीं रहे है। उनमें अधिकाधिक ट्यू"ान पढ़ाकर पैसा कमाने की होड लगी है इसके अलावा स्कूलों से उनकी गैर–हाजिरी भी एक बडी समस्या है। नि"ंचत तौर पर इन बातों से ि"ाक्षकों के सम्मान में गिरावट आई है। यूनेस्को की एक रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया है कि भारत में सरकारी स्कूलों के करीब पच्चीस फीसदी ि"ाक्षक आमतौर पर अनुपस्थित रहते है। इस मामले में बांग्लादे"ा और पेरू जैसे अपेक्षतया पिछड़े हुए दे"ा भी भारत से बेहतर स्थिति में है। सरकारी स्कूलों में ि"ाक्षकों की गैर–हाजिरी के कारण हमारे दे"ा मे ि"ाक्षा पर सरकारी खजाने से खर्च होने वाले कुल धन का लगभग बाईस फीसदी बेकार चला जाता है इन कारणों से जहां बच्चों की पढाई लिखाई प्रभावित होती है। वहीं सरकारी स्कूलों की कीमत पर निजी स्कूलों को फलने–फूलने का मौका मिलता है और मां–बाप अपना पेट काटकर भी निजी स्कूलों की तरफ आकृष्ट होते है इसलिए दे"ाभर में अब ि"ाक्षको पर कठोर निगरानी रखी जा रही है और स्कूलों में औचक निरीक्षण कर ि"ाक्षकों की गैर–हाजिरी को गम्भीरता से लिया जा रहा है। परन्तु यहाँ पर हमें सभी ि"ाक्षकों को सब बाईस पसेरी की तर्ज पर तोलने से बचना होगा और योग्य ि"ाक्षकों को पुरस्कृत कर लापरवाह ि"ाक्षकों के लिए कठोर दण्ड की व्यवस्था सुनि"ंचत करनी होगी। ि"ाक्षकों का भी यह कर्तव्य है कि वे अपने अन्दर अनु"ाासन की स्वतः स्फूर्त भावना पैदा करें और बच्चों का रोल मॉडल बने इसके अलावा, सुदूर ग्रामीण अंचलों में पदस्थापित ि"ाक्षकों की कार्यद"ाओं, उनके आवास से स्कूल को दूरी और स्कूल पहुंचने में आने वाली दिक्कतों आदि पर हमें वि"ोष ध्यान देना होगा। ि"ाक्षकों को ि"ाक्षोणत्तर कार्य से पूर्णतः मुक्त रखा जाए। यद्यपि इस सम्बन्ध में बराबर आ"वासन दिए जाते रहे है, लेकिन उसका कार्यान्वयन नहीं होता। ि"ाक्षा से सम्बद्ध किसी भी निति के निर्माण में ि"ाक्षकों को वि"वास में लेना भी जरूरी है। यह तभी सम्भव है, जबकि स्कूल के हैडमास्टर/प्रधानाचार्य के समक्ष जमीनी स्तर पर आ रही समस्याओं पर उच्चाधिकारी सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। हमें खराब परीक्षाफल के लिए सारा दोष ि"ाक्षकों पर डालने की मनोवत्ति से बचना होगा। बच्चे के मां–बाप अभिभावकों का भी यह कर्त्तव्य है कि वे ि"ाक्षकों के साथ पूरा सहयोग करें।

निश्कर्श

6–14 आयु वर्ग के बच्चों की ि"ाक्षा के साथ–साथ 1–5 आयु वर्ग के बच्चों पर भी ध्यान केन्द्रित करना होगा, क्योकि ये स्कूली ि"ाक्षा की एक महत्वपर्ण कड़ी है, या यों कहें कि नींव का पत्थर है। इसलिए इस नींव की अवहेलना कर हम एक सुदृढ़ ि"ाक्षा भवन की कल्पना नहीं कर सकते। यहां पर सेव द चिल्ड्रेन नामक संस्था द्वारा हाल में जारी रिपोर्ट का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा जिसमें बताया गया है कि भारत में हर साल चार लाख बच्चों की मौत जन्म के 24 घंटे के अन्दर हो जाती है। इस प्रकार जन्म के पहले दिन ही नवजात ि"ा"ाुओं की मौतों के मामले में भारत का वि"व में पहला स्थान है। कारण स्पष्ट है कि दे"ा की खस्ताहाल स्वास्थ्य सुविधाएं और प्र"िाक्षित लोगों की कमी इसके लिए मुख्यतः जिम्मेदार है। नागरिक स्वास्थ्य पर खर्च के मामले में भारत 175 दे"ाों की सूची में 171वें स्थान पर आता है। यही नहीं, भारत में हर वर्ष 20 लाख बच्चे उम्र का पांचवां वसंत नहीं देख पाते। यह भी उल्लेखनीय है कि नवजात ि"ा"ाुओं की 60 फीसदी मौतें दे"ा के जिन पाच राज्यों में होती है, वे बीमारू राज्यों की श्रेणी में आते है और उनमें बिहार, मध्य प्रदे"ा, आन्ध्र प्रदे"ा, राजस्थान और उड़ीसा शामिल है। इन राज्यों में गरीबी का प्रति"ात अन्य राज्यों के मुकाबले काफी ज्यादा है। कहना न होगा कि दे"ा के इन नौनिहालों की ि"ाक्षा से पहले उनकी जान बचाना हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है और जब तक हम इसका डटकर मुकाबला नहीं करेंगे, सब बच्चों को मुफ्त तथा अनिवार्य ि"ाक्षा उपलब्ध कराने का स्वप्न पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए ि"ाक्षा से पहले दे"ा के नौनिहालों का पोषण जरूरी है। इसके अलावा बस्ते के बोझ को घटाने पर भी ध्यान देना जरूरी है, क्योकि बच्चे की ि"ाक्षा के प्रति अरूचि का एक प्रमुख कारण यह भी है कि माध्यमिक ि"ाक्षा के बाद बच्चों की रूचि तथा योग्यतानुसार उसके लिए आगे भी ि"ाक्षा का माहौल बनाना जरूरी है। पढ़ाई के माध्यम में अंग्रेजी के बजाय हिन्दी अथवा प्रान्तीय भाषाओं को प्राथमिकता दी जाए, पब्लिक स्कूलों पर कठोर निगरानी रखी जाए। सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की यथोचित व्यवस्था की जाए और इन सबसे ऊपर भविष्य में समान स्कूली ि"ाक्षा की व्यवस्था उपलब्ध कराने के प्रयासों में तेजी लाई जाए, तो नि"ंचत तौर पर स्कूली ि"ाक्षा के स्तर में सुधार आएगा और दे"ा के नौनिहालों का पोषण जरूरी है। इसके अलावा बस्ते के बोझ को घटाने पर भी ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि बच्चे की ि"ाक्षा के प्रति अरूचि का एक प्रमुख कारण यह भी है। माध्यमिक ि"ाक्षा के बाद बच्चे की रूचि तथा योग्यतानुसार उसके लिए आगे भी ि"ाक्षा का माहौल बनाना जरूरी है। पढ़ाई के माध्यम में अंगेजी के बजाय हिन्दी अथवा प्रान्तीय भाषाओं को प्राथमिकता दी जाए। पब्लिक स्कूलों पर कठोर निगरानी रखी जाए। सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की यथोचित

व्यवस्था की जाए और इन सबसे ऊपर भविष्य में समान स्कूली ि"ाक्षा की व्यवस्था उपलब्ध कराने के प्रयासों में तेजी लाई जाए। तो नि"चित तौर पर स्कूली ि"ाक्षा के स्तर में सुधार आएगा और दे"ा के सभी बच्चों की सही मायने में ि"ाक्षा सुनि"चत होगी। ऐसी स्थिति में समावे"ाी विकास की अवधारणा भी अमल में आएगी।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

अभिज्ञान, रंजीत, ''ि"ाक्षा में जेंडर समानता का सवाल', योजना, जून 2010, पृष्ठ संख्या 23–24।

आदि"ोषैया, मैल्कम एस0, ''ि"ाक्षा–आर्थिक परिवर्तन का स"ाक्त माध्यम'', योजना, ि"ाक्षा का अधिकार, सन् 1994, पृष्ठ संख्या 3–4।

आचार्य, ए0 ए0, ''आन्ध्र प्रदे"ा में अनिवार्य प्राथमिक ि"ाक्षा एक नीतिगत वि"लेषण'', ि"ाक्षा शास्त्र, आसाम वि"वविद्यालय, आसाम, पी0एच0डी0, सन्–1984।

आचार्य, नन्द कि"ाोर, ''गांधीवाद में निहित है सफलता'', ि"ाविरा पत्रिका (ि"ाक्षा का अधिकार वि"ोषांक), जनवरी–2012, वर्ष52, अंक 7, पृष्ठ संख्या –17–19।

अग्रवाल, अर्चना, ''स्टडी ऑफ नोन–एनरोल्मेण्ट एण्ड ड्रापआउट एमंग गर्ल्स इण्डियन जर्नल ऑफ एजूके"ान रिसर्च'', वाल्यूम 20(2), सन्–2001, पृष्ठ संख्या 19।

अग्रवाल जे0 सी0 व एस0पी0 गुप्ता, ''राईट टू एजूके"ान एण्ड रिवाइटलाइजिंग एजूके"ान'', ि"ाक्षा पब्लिके"ान्स, नई दिल्ली, संस्करण : 2010 (प्रथम)।

अग्रवाल, सरोज, ''प्राइवेट प्राथमिक विद्यालयों एवं परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के ि"ाक्षकों में सेवा सन्तुष्टि और अध्यापन दृष्टिकोण का एक तुलनात्मक अध्ययन'', ि"ाक्षा शास्त्र, भीमराव अम्बेडकर वि"वविद्यालय, आगरा, पी0एच0डी0, सन्–1996।

अग्रवाल, वर्षा, ''उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में ि"ाक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता'', लघु"ोध, ि"ाक्षा संकाय, वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान, सन्–2010, पृष्ठ संख्या 18।

अजय दास, राईट टू एजूके"ान, ऐक्सिस पब्लिके"ान्स, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण : 2010।

बागवान, सुनील, ''गांव, सरकारी स्कूल और चकमक क्लब'', ि"ाक्षा–विम"ार्, जनवरी–फरवरी 2009, पृष्ठ संख्या 26–28।

बालकों का नि:"ाुल्क और अनिवार्य ि"ाक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, आलिया लॉ ऐजेन्सी, इलाहाबाद–लखनऊ।

भंडारी, प्रो0 आर0 सी0, ''उच्च ि"ाक्षा की गुणवत्ता'', अनौपचारिका, अप्रैल 2012, पृष्ठ संख्या 17–28।

भारद्वाज, रंगनाथ, ''बदलता हुआ वि"व परिदृ"य और ि"ाक्षा में ि"ाक्षा सम्बन्धित व्यय'', परिप्रेक्ष्य, वर्ष–1, अंक–2, अगस्त–1995, पृष्ठ संख्या 1–9।

भारत 2010 एजूके"ान स्टोर्स गाजियाबाद, पृष्ठ संख्या 251–259।

भारत 2010 एजूके"ान स्टोर्स गाजियाबाद, पृष्ठ संख्या 253–257।

भारत का राजपत्र, अप्रैल 9, सन् 2010, नई दिल्ली।

भारत 2011, सूचना प्रसारण मंत्रालय, प्रका"ान विभाग, भारत सरकार, पृष्ठ संख्या 85।

बिष्ट, हंसराज, ''ि"ाक्षा का नया आयाम : ि"ाक्षा का मौलिक अधिकार'', प्रतियोगिता दर्पण, जून 2010, पृष्ठ संख्या 2015।

बोड़ा, राजेन्द्र, ''साक्षर भारत टूटते सपनों की कहानी'', अनौपचारिका (ि"ाक्षा का अधिकार वि"ोषांक), मई–जून 2010, संयुक्तांक, पृष्ठ संख्या 64–65।

नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 भारत सरकार।

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग रिपोर्ट राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन 2006–2009 भारत सरकार।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (2005), नई दिल्ली।

शिक्षा का अधिकार बिल 2005।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति पु नरससंोधन 1992 शिक्षा की नीति।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 औ र मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।

अध्यापक शिक्षा नई दिल्ली वर्ष 2009–10 के लिये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा।

अग्रवाल, यू .सी. 2010, बच्चों के मौलिक अधिकार के रूप में "प्राथमिक ि"ाक्षा" –एक वि"लेषण. प्रतियोगिता दर्पण. जून आगरा।